राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली - 110012

संख्याः1-7/व्यक्तिशः आदेश/हिन्दी/एनएससी/2013-14 दिनांकः 19 अगस्त, 2013

आदेश

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम 10(4) के अन्तर्गत कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, मुख्यालय को वर्ष 1979 में अधिसूचित किया गया था। इस अधिसूचना का अर्थ है कि एनएससी मुख्यालय के 80 प्रतिशत से अधिक कार्मिकों को (समूह 'घ' के कार्मिकों को छोड़कर) हिन्दी में काम करने में प्रवीणता प्राप्त है अथवा उन्हें हिन्दी में काम करने के लिए आवश्यक कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। ऐसे अधिसूचित कार्यालयों में राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम 8(4) के अनुसार ***हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को अपना समस्त कार्यालयीन कार्य (टिप्पण, प्रारूपण, इत्यादि) केवल हिन्दी में ही करना अपेक्षित है।***

इस संबंध में संसदीय राजभाषा समिति की राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित निरीक्षण प्रश्नावली में भी निम्नलिखित सूचना देनी होती हैः

- ***क्या उल्लिखित नियम के अन्तर्गत आदेशित अधिकारी / कर्मचारी अपना काम हिन्दी में कर रहे हैं?***
- ***यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है या की जानी प्रस्तावित है?***
- ***राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कोई मॉनिटरिंग व्यवस्था स्थापित की गई है?***

उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को पुनः स्मरण कराया जाता है कि वे अपना समस्त कार्यालयीन कार्य (टिप्पण एवं प्रारूपण इत्यादि) हिन्दी में ही करना जारी रखें और इसका समुचित रिकार्ड रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर संसदीय राजभाषा समिति की उल्लिखित प्रश्नावली में सही आंकड़े दिए जा सकें। कृपया ध्यान दें कि जो अधिकारी / कर्मचारी हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त हैं और वे अपना कार्यालयीन कार्य हिन्दी में नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

(एम.एम. शर्मा)
निदेशक (वित्त)

वितरणः

1. मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष / अनुभागाध्यक्ष - कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके अधीन कार्यरत हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त निदेश का अनुपालन करें।
2. सभी क्षेत्रीय / प्रक्षेत्र प्रबन्धक, एनएससीः कृपया अपने अधीन कार्यरत हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस आदेश की एक प्रति देकर उनसे पावती प्राप्त कर मुख्यालय के राजभाषा कक्ष को रिकार्ड के लिए भिजवा दें।
3. एनएससी मुख्यालय के हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी (संलग्न सूची के अनुसार)।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव - सूचनार्थ।
5. सूचना पट्ट।